<u>१न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 18, मेरठ ।</u>

आसिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

फौजदारी विविध वाद संख्या– 736/2026

UPME010091622026

मुकदमा अपराध संख्या– 757/2025
धारा–303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता
थाना – लोहिया नगर, जिला – मेरठ।

<u>दिनाँक–21.07.2026</u>

<u>निस्तारण बाबत शिथिल करने जमानत शर्त</u>

1– अभियुक्त **आसिफ पुत्र इरशाद** की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र इस आशय का कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर मु०अ०सं०–757/25 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी०एन०एस० थाना लोहियानगर, जिला मेरठ से लगाया गया था। केस उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत मेरठ के न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। केस उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को ए०डी०जे०–18 के न्यायालय से 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व सामान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के आदेश किये गये है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.12.2025 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त एक निर्धन व्यक्ति है। वह 50 हजार रूपये के दो जमानती देने में असमर्थ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ के आदेशानुसार मेरठ के विधि बचाव वकील प्रार्थी/अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह पहला आपराधिक विविध आवेदन है। यह आपराधिक विविध आवेदन न तो पहले किसी न्यायालय में लंबित है और न ही इस पर पहले कोई निर्णय लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.01.2023 के स्वतः संज्ञान याचिका संख्या 04/2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त केस में जमानत आदेश में 50–50 हजार रूपये के प्रतिभूओं को शिथिल करते हुए पच्चीस हजार रूपये का एक जामिनान दाखिल करने के आदेश करने की प्रार्थना की गयी है।

2– आदेश दिनांकित 19.06.2026 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त के स्थायी निवास पता व उसकी सामाजिक व वित्तीय स्थिति बाबत आख्या आहूत की गयी जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें यह अंकित है कि अभियुक्त के परिवार का पालन पोषण अभियुक्त के पिता के माध्यम से मजदूरी का कार्य करके किया जाता है। अभियुक्त जेल में निरुद्ध होने से पूर्व मजदूरी का काम करता था। परिवार की सामाजिक स्थिति दयनीय व आर्थिक स्थिति निम्नवर्गीय प्रतीत होती है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध जमानत आदेश की प्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त **आसिफ पुत्र इरशाद** की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है, जिसमें अभियुक्त द्वारा **50,000 रूपये (पचास हजार रूपये)** का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने का आदेश पारित किया गया था।

4– अभियुक्त की ओर से जमानत स्वीकार होने के बाद गरीबी के कारण जमानती उपलब्ध न होने के कारण जमानत दाखिल न कर पाने पर जमानत की शर्तों को शिथिल करते हुये धनराशि को कम किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– माननीय उच्चतम न्यायालय ने SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021; 31–01–2023 के मामले में जेल में निरूद्ध बंदी के रिहा किये जाने के संबंध में निम्न 7 निर्देश जारी किया गया है ।

With a view to ameliorate the problems a number of directions are sought. We have examined the directions which we reproduce hereinafter with certain modifications:

> "1) The Court which grants bail to an undertrial prisoner/convict would be required to send a soft copy of the bail order by e–mail to the prisoner through the Jail Superintendent on the same day or the next day. The Jail Superintendent would be required to enter the date of grant of bail in the e–prisons software [or any other software which is being used by the Prison Department].
>
> 2) If the accused is not released within aperiod of 7 days from the date of grant of bail, it would be the duty of the Superintendent of Jail to inform the Secretary, DLSA who may depute para legal volunteer or jail visiting advocate to interact with the prisoner and assist the prisoner in all ways possible for his release.
>
> 3) NIC would make attempts to createnecessary fields in the e–prison software so that the date of grant of bail and date of release are entered by the Prison Department and in case the prisoner is not released within 7 days, then an automatic email can be sent to the Secretary, DL.S.A.
>
> 4) The Secretary, DLSA with a view to findout the economic condition of the accused, may take help of the Probation Officers or the Para Legal Volunteers to prepare a report on the socio–economic conditions of the inmate which may be placed before the concerned Court with a request to relax the condition (s) of bail/surety.
>
> 5) In cases where the undertrial or convict requests that he can furnish bail bond or sureties once released, then in an appropriate case, the Court may consider granting temporary bail for a specified period to the accused so that he can furnish bail bond or sureties.
>
> 6) If the bail bonds are not furnished within one month from the date of grant bail, the concerned Court may suo moto take up the case and consider whether the conditions of bail require modification/ relaxation.
>
> 7) One of the reasons which delays the release of the accused/ convict is the insistence upon local surety. It is suggested that in such cases, the courts may not impose the condition of local surety."
>
> We order that the aforesaid directions shall be complied with.

6– इस मामले में अभियुक्त **आसिफ पुत्र इरशाद** उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को स्वीकार किया गया। अभियुक्त की ओर से अब तक जमानतनामें दाखिल नहीं किये गये है। जमानतनामे दाखिल न करने के कारण वह जेल में निरूद्ध है, अतः मामले के

तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की जमानत की धनराशि 30,000/– रूपये तक की सीमा तक शिथिल किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

1– अभियुक्त **आसिफ पुत्र इरशाद** की पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनाँक 07.04.2026 को निर्धारित जमानत की शर्त 50,000/– रूपये की धनराशि को शिथिल करते हुए 30,000/– रूपये के एक जमानती तथा समान धनराशि के बंधपत्र की शर्त निर्धारित की जाती है। अभियुक्त द्वारा **30,000/–** रूपये का बंधपत्र और समान धनराशि का **एक** जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। तद्नुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

2– आदेश की एक प्रति email द्वारा संबंधित कारागार को भेजी जाये।

दिनांक–21.07.2026

(पूनम कर्णवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–18, मेरठ।
J.O.CODE–UP 1799

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by POONAM KARANWAL
Date: 2026.07.22 19:44:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court